राज्य सैक्टर
संख्या 1107/1/2004-04/1(1)/82/04

प्रेषक,

डा0एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 7 मार्च, 2005

विषयः— उत्तरांचल जल विद्युत निगम को नई विद्युत परियोजनाओं के अनुसंधान एवं नियोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 में अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 554/वि0अनु0–1/2004, दिनांकः 30–07–2004 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 80,00,000/– (रू0 अस्सी लाख मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में नई जल विद्युत परियोजनाओं के अनुसंधान एवं नियोजन कार्यो हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर आहरित किया जायेगा। धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2– आंबटित धनराशि को किसी ऐसी मद, जिसके लिये फाईनेन्सियल हैण्डबुक बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, पर तदानुसार स्वीकृति प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

4– अनुसंधान एवं नियोजन कार्यो हेतु निम्न मदें अनुमन्य हैं जिन पर स्वीकृत धनराशि व्यय की जायः–

1– DPR/PFR के लिये Expression of interest.
2– PFR पर व्यय।
3– सिंचाई विभाग के खर्चे यदि वे जल संसाधन की जानकारी/समीक्षा हेतु व्यय किये जाय।
4– Data compilation जो जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण/पुर्नजीविकरण से संबंधित हैं।
5– Private developers के निवेश हेतु दी गई विज्ञप्ति के व्यय (Minus amount obtained as fees etc.)
6– निजी लघु जल विद्युत परियोजनाओं की DPR/PFR/प्रस्ताव के परीक्षण पर लगाये गये वास्तविक man-hours.

.....2

5– धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक उपयोग कर कार्यवार उपयोग की गई धनराशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801–बिजली–01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–03–नई परियोजनाओं का अनुसंधान एवं नियोजन–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 591/वि0अनु0–3/2004, दिनांक 01 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या 1109 /I/2004-04/1(1)/82/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

3– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।

4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।

5– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।

6– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव